रजिस्ट्री सं० डी-(ड)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 1975/अग्रहायण 27, 1897

No. 499] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 1975/AGRAHAYANA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th December 1975

S.O. 711(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-second Amendment Order, 1975.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I :—

(1) Part 'A' the existing entry against sub-item 15 of S. No. 18 (b) shall be substituted by the following:

"Snakes, all varieties".

(2) Part 'B' the following sub-items of item No. 1(iii)(b) appearing under the heading "Reptiles" shall be deleted.

"2. Rat Snake or Dhaman (Ptyas mucesus) (Also called whip snake).

3. Water Snake or Dhora (Natrix piscater)".

3. In the Exports (Control) Order, 1968, in O.G.L.3 the following sub-items appearing under the heading "Reptiles" in column 2 against S.No. 1 shall be deleted:

"2. Rat Snake or Dhaman (Ptyas mucesus) (Also called whip snake).

3. Water Snake or Dhora (Natrix piscater)".

[No. E(C)O, 1968/AM(177).]

MISS ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

का० आ० 711 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) बत्तीसवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 की अनुसूची 1 में :—

(1) भाग ए में क्रम संख्या: 18(बी) की उप-मद 15 के सामने वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"सभी प्रकार के सांप"

(2) भाग 'बी' में 'रेंगने वाले जीव' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई गई मद संख्या 1(3)(बी) की निम्नलिखित उप-मदों को हटाया जाएगा :—

"2. चूहे जैसा सांप या धामन (प्ट्यास म्यूसेसस) (जिसे बटा हुआ सांप भी कहते हैं)

3. जल सांप अथवा धोरा (नेटरिक्स पिस्केटर)"

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में खुला सामान्य लाइसेंस संख्या: 3 में क्रम संख्या 1 के सामने कालम 2 में "रेंगने वाले जीव" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई गई उप-मदों को हटाया जाएगा :—

"2. चूहे जैसा सांप अथवा धामन (प्ट्यास म्यूसेसर) जिसे बटा हुआ सांप भी कहते हैं)

3. जल सांप अथवा धोरा (नेटरिक्स पिस्केटर)"।

[सं० ई(सी)ओ, 1968/ए० एम० (177)]

कुमारी रोमा मजूमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975